



## मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462 011

ज्ञापन क्र. F-64-02/09/वीक/1288  
प्रति,

दिनांक 18/11/09

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
जिला—जबलपुर।  
मध्यप्रदेश।

विषय: विकलांग बच्चों के चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन।

संदर्भ: आपका अर्द्ध शा. पत्र क्रमांक— 820/स्था.निर्वा. दिनांक 16/11/2009.

संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष में निर्देशानुसार अवगत कराया जाता है कि विकलांग बच्चों के चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन सामान्य कार्य—कलाप की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में उक्त आयोजन के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

2/ आदर्श आचरण संहिता [www.mpelection.net](http://www.mpelection.net) पर उपलब्ध है।

(अनुपम राजन)


सचिव,

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठांकन क्रमांक: 64-02/09/वीक/1288 भोपाल, दिनांक 18/11/09

प्रतिलिपि:

समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (सागर जिले को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(अनुपम राजन)  
सचिव,

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग